

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2011/DCE/1602-III/

दिनांक : अक्टूबर, 2011

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को सांय 5.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 16 सितम्बर, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 16 सितम्बर, 2011 का बैठक कार्यवाही विवरण जारी हो चुका है। जो समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव संख्या 2 :: विकास कार्यों के संबंध में।

1- माईकोसर्फेसिंग द्वारा डामर सड़को के नविनीकरण के कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में 700.00 लाख की जारी है। तत्प चातु निविदा आमंत्रित में निविदा दर 17.41 प्रतिशत अधिक प्राप्त हो जाने के कारण कार्य की कुल लागत रु. 8,22,13,295/- आयेगी।

अतः अतिरिक्त राशि रु. 1,22,13,295/- की होने के कारण संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त कार्य की निविदा दिनांक 20.06.2011 को प्राप्त की गयी थी, कार्यादेश की अनुमति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श एवं सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया।

2- संशोधित स्वीकृति हेतु अनुमोदन बाबत :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	पूर्व स्वीकृति राशि (लाखों में)	संशोधित स्वीकृति राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	ग्राम गेट चौराहा, जवाहर कॉलोनी सरदार क्लब होते हुये वायुसेना पुलिस कार्यालय चौराहा तक सड़क चौड़ा किये जाने का कार्य	78.00	102.05	उक्त कार्य पुन रिस्क एण्ड कौंस्ट पर मैसर्स प्रिया कन्स द्वारा किया जाना है। दर अधिक होने के कारण संशोधित स्वीकृति प्रकरण हेतु प्रस्तुत है। इस कार्य में कार्य को दो भाग में बांटा गया है।

				भाग (अ) रिस्क एण्ड कॉस्ट कार्य।
				भाग (ब) विना रिस्क एण्ड कॉस्ट कार्य।

उक्त कार्य पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 18.08.2011 को प्रकरण में रखा गया था जिसमें निर्णय दिया गया कि उक्त कार्य रिस्क एण्ड कॉस्ट के अलावा जो अतिरिक्त कार्य लिया गया है, वे कार्य ही स्वीकृत किये जावे। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पूर्व में उक्त कार्य मैसर्स छगनीराम को दिया गया था, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.07.09 को रु. 78.00 लाख की जारी की गयी थी। टेण्डर प्रीमियम @ 27% Below होने के कारण कार्यादेश राशि 54,72,615/- कर दिया गया था। (पूर्व तकमीने में 1200 मीटर लम्बाई का प्रावधान लिया गया था)

मौके की स्थिति के अनुसार उक्त कार्य में 1700 मीटर लम्बाई में करवाये जाने हेतु निर्णय लिया गया, जिसका संशोधित तकमीना रु. 1,19,10,338.10 का था, टेण्डर प्रीमियम @ 27% Below होने के कारण संशोधित स्वीकृति रु. 86,94,546.81 (Say 87.00 लाख) का आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 14.07.2010 को दी गयी।

संवेदक द्वारा मौके पर कार्यादेश राशि 54,72,615/- के तहत रु. 53,56,637/- का कार्य किया गया है, संवेदक ने संशोधित स्वीकृति रु. 87.00 लाख का कार्य करने को मनाकर दिया था। क्योंकि मौके पर आज भी कार्य अपूर्ण है।

इस मार्ग का अनुमन तौर पर यथा जवाहर कॉलोनी, कच्ची बस्ती, सरदार क्लब योजना, भैरु विलास, अभयगढ़, गोल्फ कोर्स योजना, अरविन्द नगर, आजना पटेल नगर, विधा पार्क, सेंट्रल स्कूल योजना, हरिपुरा व्यास कॉलोनी, वायुसेना की सेंट्रल स्कूल के बी. नम्बर 1, एयर फोर्स स्टेशन, एयर फोर्स के आवासीय कॉलोनी इत्यादि के रहवासियों द्वारा उक्त मार्ग का उपयोग रेजीडेन्सी रोड से आवागमन हेतु करते हैं। यह मार्ग एक व्यस्त मार्ग है।

शेष बचे कार्य की निविदा दिनांक 17.07.2011 को प्राप्त की गयी थी, जिस शिड्यूल को दो भाग में बांटा गया।

भाग (अ) :- रु. 709291.00 (मैसर्स छगनीराम गहलोत द्वारा छोड़ा गया कार्य रिस्क एण्ड कॉस्ट)

भाग (ब) :- रु. 3822266.00 (शेष बचे कार्य 1200 मीटर से 1700 मीटर लम्बाई होने के कारण)

चुकि पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार रिस्क एण्ड कॉस्ट के अलावा अतिरिक्त कार्य करवाने का निर्णय लिया गया है। मौके की स्थिति के अनुसार पूर्व में संवेदक मैसर्स छगनीराम गहलोत द्वारा जो कार्य छोड़ा गया है, उसे अलग से निविदा कर करवाया जाना सम्भव नहीं है। चुकि संवेदक ने संशोधित तकमीने के अनुसार 1200 मीटर से 1700 मीटर लम्बाई तक बड़े कार्य में भी कार्य कर दिया है। मौके की स्थिति के अनुसार उक्त कार्य एक ही संवेदक द्वारा करवाया जाना उचित रहेगा। उक्त निविदा दिनांक 17.07.2011 को प्राप्त की गयी थी, अतः प्रकरण संशोधित स्वीकृति एवं कार्य करवाने की अनुमति हेतु पुनः कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: विवेक विहार योजना में भूखण्डों का लॉटरी द्वारा आवंटन व मुआवजाधारियों को भूखण्ड आवंटन का अनुमोदन

(1) विवेक विहार आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु दिनांक 9 सितम्बर, 2011 को निकाली गयी लॉटरी प्रक्रिया से सबधित विभिन्न आवेदकों की परिवेदनाओं को प्राप्त करने एवं उनके निराकरण के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किये जाने के लिए आयुक्त महोदया के आदेश क्रमांक निजी सचिव/आयुक्त/2011/1914-20 दिनांक 9 सितम्बर, 2011 द्वारा सचिव की अध्यक्षता में (पूर्व में राजीव गांधी आवासीय योजना के संबंध में गठित समिति की तर्ज पर) समिति का गठन किया गया। उक्त समिति की बैठक दिनांक 19 सितम्बर, 2011 में निम्नानुसार सुझाव प्रस्तुत किये गये:-

1- बैठक में समिति के समक्ष सर्व प्रथम 92.9 वर्ग मीटर आकार भूखण्डों के सफल आवेदकों की सूची में से जांच किये गये ऐसे प्रकरण प्रस्तुत किये गये जो अधिकारी स्तर (उपायुक्त, अधिशाषी अभियन्ता) की जांच में खारिज योग्य पाये गये। उक्त प्रकरणों में समिति द्वारा बाद विचार विमर्श निम्नानुसार निर्णय प्रस्तावित किये गये:-

क्र. सं.	फार्म संख्या	सफल आवेदक का नाम	आवेदक की श्रेणी	आवंटित भूखण्ड	भूखण्ड का आकार (वर्ग मीटर)	पाई गई कमियां
1.	6801	श्री महेन्द्र मिश्रा पुत्र श्री सदनान मिश्रा	सामान्य	A-251	92.9	आय अनुसार 74.3 वर्ग मीटर भूखण्ड के लिए आवेदन करना था पर प्रार्थी ने एक जगह एलआईजी में आवेदन किया व भूखण्ड के माप की जगह 92.9 वर्ग मीटर लिखा व गलत खुल गया है।
2	55641	श्रीमती रामा देवी पत्नि स्व. श्री फोजाराम	सैनिक विधवा	D-442	92.9	1- प्रार्थीया ने 139.4 वर्ग मीटर भूखण्ड की मांग की थी जबकि प्रार्थीया को 92.9 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटन हुआ। 2- प्रार्थीया के पति की मृत्यु सेवानिवृत्त होने के बाद हुई।
3.	31954	श्री चन्द्रशेखर चारण	अनुसूचित जन जाति	D-430	92.9	आवेदक सामान्य वर्ग का है किन्तु आवेदन अनुसूचित जन जाति वर्ग में किया है।
4.	8486	श्री चन्द्रेश नागर		D-144	92.9	आय 38000/- की वर्ग है किन्तु आवेदन एवं आवंटन 15001-30000/- आय वर्ग सी में हुआ है।
5.	2195	श्री कन्हैयालाल पुरोहित	भूतपूर्व सैनिक	B-11	92.9	आय वर्ग अनुसार आय अधिक है।
6.	41267	श्री अजय सिंह सेनी	अनुसूचित जन जाति	B-544	92.9	अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अनुसूचित जन जाति में

7.	07682	श्री महेश जेदिया	अनुसूचित जाति	C-207	92.9	आवेदन किया है। आय प्रमाण-पत्र 51,215 रुपये का है जबकि आवेदन 15001 से 30000/- रुपये में किया है।
----	-------	------------------	---------------	-------	------	--

उक्त प्रकरणों के अन्तिम कॉलम में दर्शाये गये विवरण के अनुसार आवंटन किया जाना उचित नहीं है। अतः ऐसे व्यक्तियों के आवंटन खारिज किये जाने प्रस्तावित है। उक्त आवंटन को खारिज किये जाने के लिए सूची समिति की सिफारिश के साथ कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जावे।

बैठक में समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया गया।

2- इसी प्रकार भूखण्ड आकार 92.9 वर्ग मीटर में लॉटरी दिनांक 9 सितम्बर, 2011 में सफल आवेदक के सामने भूखण्ड संख्या कम्प्यूटर त्रुटि से ऐसी अंकित हो गयी है जो भूखण्ड आकार 195.1 वर्ग मीटर के भूखण्ड का है। अतः सफल एवं पात्र आवेदक के मध्य लॉटरी निकाल कर उस आकार वर्ग में भूखण्ड नम्बर का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित किया जो दिनांक 20 सितम्बर, 2011 को किया जा चुका है।

(2) उक्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2011 को आयोजित हुई जिसमें निम्नानुसार सुझाव प्रस्तुत किये गये:-

1- सफल आवेदकों की जाच एवं परिवेदनाओं में अंकित फार्म नम्बरों से यह स्पष्ट होता है कि कुल 25 आवेदक ऐसे हैं जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति वर्ग का नहीं होते हुए भी उक्त वर्ग में आरक्षण प्राप्त करने के लिए संबंधित कॉलम में टिक (✓) किया है। ऐसे आवेदक गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने एवं अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने के दोषी हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे आवेदकों के आवेदन खारिज कर पंजीकरण राशि जब्त किया जाना प्रस्तावित है एवं विधिक राय लेकर अन्य कार्यवाही किया जाना भी प्रस्तावित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

2- ऐसे आवेदक जिन्होंने आवेदन सही श्रेणी में किया किन्तु फीडिंग की गलती एवं जाच में पकड़ में नहीं आने के कारण उक्त आरक्षण वर्ग में आवेदन-पत्र शामिल हुए एवं लॉटरी में सफल हो गये। अब तक की जाच में ऐसे 20 आवेदक सामने आये हैं। ऐसे आवेदकों का आवेदन उनकी संबंधित आरक्षण श्रेणी में माना जाना एवं जिस आरक्षण श्रेणी में उन्हें आवंटन हुआ है उस श्रेणी में भूखण्ड आवंटन के लिए रिक्त/उपलब्ध होना प्रस्तावित किया है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

3- जाच के अनुसार कुल 9 प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जो स्पष्ट रूप से नियमित राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं और उन्होंने राज्य कर्मचारी वर्ग में आवेदन किया है तथा उन्हें लॉटरी में भी भूखण्ड आवंटन हो गया है। अतः ऐसे आवेदकों के आवेदन खारिज कर पंजीकरण राशि जब्त किया जाना प्रस्तावित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

4- जांच के अनुसार 18 आवेदक ऐसे सामने आये हैं जिनोंने संबंधित आय वर्ग श्रेणी के बजाय अन्य आय वर्ग श्रेणी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। ऐसे आवेदकों ने भी जानबूझकर गलत आय वर्ग में आवेदन कर गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है। अतः ऐसे आवेदनों को खारिज कर उनकी पंजीकरण राशि जब्त किया जाना प्रस्तावित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

5- जांच में 3 ऐसे प्रकरण सामने आये हैं जिनमें सफल आवेदक सैनिक विधवा की श्रेणी में आरक्षण की पात्रता नहीं रखती हैं क्योंकि संबंधित सैनिक की मृत्यु सेवानिवृत्त के पश्चात् होना स्पष्ट हुआ है। अतः ऐसे आवेदनों को खारिज किया जाना एवं राशि जब्त किया जाना प्रस्तावित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

6- पत्रकार वर्ग आरक्षण श्रेणी में ऐसे पत्रकार भी सम्मिलित हैं जो निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार नहीं हैं किन्तु उन्होंने पत्रकार श्रेणी में आवेदन किया और उन्हें आवंटन भी हो गया है। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2011 जारी कर पत्रकारों को उक्त योजना में भूखण्ड आवंटन के लिए पात्रता में छूट प्रदान की है। उक्त शिथिलता की शर्तों की जांच की जानी आवश्यक है। अतः उक्तानुसार भी पत्रकारों के आवेदन खारिज किया जाना नहीं प्रस्तावित किया है किन्तु लॉटरी दिनांक 9 सितम्बर, 2011 को आवेदक अधिस्वीकृत पत्रकार को आवंटन किये जाने के पश्चात् शेष रहे अन्य सफल पत्रकार जो दिनांक 22 सितम्बर, 2011 के परिपत्र के अनुसार पात्र हैं, को भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

7- जांच में ऐसे प्रकरण भी सामने आये हैं जिनमें एक परिवार में एक से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया है और लॉटरी में सफल भी हो गये हैं। ऐसे आवेदकों को नोटिस जारी किया जाकर 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ-पत्र लिया जाना प्रस्तावित है कि वे कौन-सा एक भूखण्ड का आवंटन यथावत् रखना चाहते हैं। तदुपरान्त शेष भूखण्ड का आवंटन खारिज कर दिया जावे।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया तथा 5 प्रतिशत राशि जब्त करने का निर्णय लिया गया।

8- जांच में ऐसे भी प्रकरण सामने आये हैं जिनमें फीडिंग की गलत के कारण आवेदित भूखण्ड आकार एवं आय वर्ग के अलावा अन्य आकार का भूखण्ड लॉटरी में आवंटन हो गया है ऐसे आवेदकों को उनके संबंधित आय वर्ग के आकार के भूखण्ड जिसके लिए वे पात्र हैं से ही भूखण्ड आवंटन किया जा सकता है एवं जिस आकार वर्ग में उनकी लॉटरी निकली है उस आकार वर्ग में संबंधित श्रेणी में भूखण्ड रिक्त घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार उक्त संशोधनों को ध्यान में रखते हुए लॉटरी सूचीनुसार आवंटन-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

(3) विवेक विहार योजना की अवाप्तसुदा भूमि के मुआवजेधारकों को दी जाने वाली विकसित भूमि की लॉटरी दिनांक 08.09.2011 के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु आयुक्त महोदया द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 23.09.2011 को आयोजित की गयी जिसमें निम्नानुसार सुझाव प्रस्तुत किये गये-

इस संबंध में 334 प्रतिवेदन प्राप्त हुए जिनका वर्गवार विश्लेषण निम्नानुसार है:-

1.	भूखण्ड नहीं मिले	88	
2.	अधिक भूमि होने बावत	2	अधिक आवंटन
3.	एक ही भूखण्ड के दो नम्बर	7	दोहरा आवंटन
4.	एक से अधिक खसरो में आवंटन व कम आवंटन	10	कम आवंटन व 3 या 2 खसरो में आवंटन
5.	कम वर्ग गज का भूमि आवंटन	130	कम नाप का दिया
6.	अन्य जो योजना से संबंधित है।	40	मुआवजाधारी (अन्य)
7.	अन्य विविध	57	कानूनी विवाद
		योग 334	

उक्तानुसार प्रकरणों में विचार के उपरान्त समिति ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं-

1- जिन मामलों में मुआवजेधारकों को एक ही भूखण्ड सख्या एक से अधिक बार आवंटित हो गई है उन मामलों में यथा सम्भव उसी सेक्टर में समान आकार का भूखण्ड लॉटरी द्वारा पुनः आवंटित किया जावे।

बाद विचार विमर्श गठित समिति द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर विचार कर कार्यकारी समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों में समान आकार का भूखण्ड उसी सेक्टर में दिया जावे। इसके लिए सेक्टर में भूखण्ड नहीं होने की स्थिति में शेष रहे भूखण्डों का पुनर्गठन / भू-विभाजन किये जाने के प्रस्ताव निदेशक-आयोजना तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। यदि शेष रहे भूखण्डों से उसी सेक्टर में वांछित आकार के भूखण्डों का पुनर्गठन सम्भव नहीं हो तो समीपवर्ती सेक्टर में समान आकार का भूखण्ड आवंटित किया जावे।

2- जिन मामलों में अर्वाड धारकों को मुआवजे में देय सम्पूर्ण क्षेत्रफल आवंटन से शेष रह गया अथवा 50 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल आवंटन से शेष बचा हुआ है, ऐसे मामलों में लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित किए जावे।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रा अनुसार आवंटन से शेष रहे भूखण्डधारियों एवं 50 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल आवंटन से शेष नहीं हो तो ऐसे मुआवजाधारियों को अवाप्तसुदा भूमि के बनावे

गये ले-आऊट प्लान में आवासन मण्डल के लिए आरक्षित की गयी भूमि में से आवश्यकतानुसार समुचित आकार के भूखण्ड बनाये जावे। इसके लिए निदेशक-आयोजना को निर्देश दिये कि भूमि अधिपति अधिकारी द्वारा आरक्षित की गयी आवश्यकतानुसार आवश्यक संख्या में भूखण्डों का गठन किये जाने हेतु योजना के ले-आऊट प्लान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।

3- कई मामलों में एक ही मुआवजे धारक को स्वयं के सेक्टर में बहुत कम भूमि मिली है, अथवा दी जाने वाली भूमि अनेक सेक्टरों में विभाजित कर दी गई है, ऐसे प्रकरणों पर विचार कर समतुल्य आधार पर परिदेदनाओं का निरस्तारण किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि किसी अवाडधारक को आवंटित किये जाने वाले कुल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत भी स्वयं के सेक्टर में आवंटित नहीं होता है या आवंटित किये जाने वाले क्षेत्र 10 से अधिक सेक्टरों में विभाजित हो गये हैं तो ऐसे प्रकरणों में अवाडधारक से विकल्प/सहमति प्राप्त कर यथा सम्भव स्वयं के सेक्टर में दिये गये विकल्प अनुसार भूखण्ड आवंटित किया जावे।

4- सेक्टर - ए में रूपान्तरित भूखण्ड के मामलों में पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 10.05.2011 में निर्णय लिया गया था कि ऐसे मुआवजेधारी जिनके भूखण्ड विधिवत रूप से कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है, को मुआवजे के बदले यथासम्भव अवाप्तसुदा भूखण्ड के लगभग 100 मीटर परिधि में उपलब्ध कराये जावे, किन्तु लॉटरी दिनांक 08.09.2011 में अन्य मुआवजे धारकों के साथ ही लॉटरी निकाली गई। अतः ऐसे प्रकरणों में दिनांक 08.09.2011 में आवंटित भूखण्ड संख्या के संबंध में रूपान्तरित भूखण्ड के अवाड धारकों को नोटिस जारी कर आपत्ति/विकल्प/सहमति प्राप्त की जावे तथा उसके उपरान्त प्राप्त स्थिति अनुसार सेक्टर - ए में रूपान्तरित भूखण्ड से संबंधित खसरो को यथासम्भव 100 मीटर के अन्दर लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित किए जावे।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: श्री प्रहलाद राम पुत्र श्री शमशेर मल कियोस्क संख्या 4, हुडको शाखा सांघी पेट्रोल पम्प के पास के संबंध में

प्रार्थी श्री अरविन्द खेतानी पुत्र श्री ईश्वर चन्द खेतानी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर कियोस्क सं. 4-ख सांघी ब्रदर्स के पास स्थित है। इस कियोस्क के पास खालसा भूमि अपने नाम आवंटन करने की मांग की है, जिसका क्षेत्रफल 15X18 है। कियोस्क सं. 4-ख प्रार्थी श्री प्रहलाद राम पुत्र श्री शमशेरमल को दिनांक 01.04.1977 को 100/- प्रतिमाह किराये पर आवंटन की गई थी।

आवेदक श्री अरविन्द खेतानी ने श्री प्रहलादराम पुत्र श्री शमशेरमल की मृत्यु हो जाने का प्रमाण-पत्र पेश कर आवंटित कियोस्क 4-ख अपने नाम हस्तान्तरण करने की मांग की है तथा साथ ही बकाया किराया माह जनवरी, 2009 से अपने नाम हस्तान्तरण करते हुए जमा करने की मांग की है। इस संबंध में आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ में भी पत्र दिये गये हैं। अतः प्रार्थी श्री अरविन्द खेतानी पुत्र श्री ईश्वरचन्द खेतानी के नाम कियोस्क हस्तान्तरण करने के लिए एवं खालसा भूमि 15X18 आवंटन करने के लिए प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण का परीक्षण किया जावे कि आवेदक आवंटन हेतु पात्र है अथवा नहीं? तथा रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: "श्रद्धेय स्व. श्रीमती इन्द्रा गांधी की आदमकद प्रतिमा" विवेक विहार योजना में लगाने के संबंध में।

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक निरा/ प्रशास/ नविधि/ 2011/ 1963 दिनांक 8 सितम्बर, 2011 द्वारा विवेक विहार योजना में "श्रद्धेय स्व. श्रीमती इन्द्रा गांधी की आदमकद प्रतिमा" लगाने, विवेक विहार योजना में गांधी मैदान की तर्ज पर छोड़े गये भूखण्ड का नामकरण "इन्द्रा गांधी मैदान" तथा भदवासिया आर.ओ.बी. का नामकरण "महात्मा ज्योति बा फुले" या श्रीमती सावित्री फुले" के नाम पर किये जाने के संबंध में श्री जवाहर सुराणा, सुजल, ई-10 शास्त्रीनगर, जोधपुर का माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि अविलम्ब पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संचित किया है।

अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण इस हेतु संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रकरण प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटन/नीलामी किये गये भूखण्डों की बकाया कीमत राशि जमा कराने के संबंध में।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवासीय योजनाओं में भूखण्डों को आवंटन/नीलाम कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन पत्र/नोटिस जारी किये जाते हैं। आवंटन को आवंटन पत्र प्राप्ति के 30 दिवसों में भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवानी थी। परचात् आगामी 60 दिवसों में आवंटन 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज से राशि जमा करवा सकता था। व्याज आवंटन पत्र जारी करने की तिथी से देय होगा। आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नहीं कराने पर भूखण्ड स्वतः निरस्तीकरण की भाषा में आ जाता है। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) (iii) के अनुसार यदि न्यास अपने हित में ऐसे विनियमितीकरण के लिए राज्य सरकार को मामला निर्दिष्ट करता है या एक आवंटिती, ऐसे विनियमितीकरण के लिए विस्तृत तथ्यों को वर्णित करते हुए सरकार को आवेदन करता है, तो राज्य सरकार आवंटिती द्वारा भूमि की लागत और व्यय, यदि कोई हो, और उपबधित अनुसार व्याज और शास्ती के भुगतान पर ऐसे विनियमन की अनुमति दे सकती है। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 09.06.2009 के प्रस्ताव संख्या 17(3) के अनुसार Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 में जहां राज्य सरकार अंकित है वे शक्तियां राज्य सरकार की ही रहेगी निम्नानुसार प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में प्रकरण विचारार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुए -

क्र. सं.	आवंटन का नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटन पत्र जारी होने की तिथी	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से एक वर्ष की दिनांक
1	श्री गोविन्दलाल माथुर व श्री दीपक माथुर	12 रहवासीय चौखा लहरिया रिसोर्ट के पास	नीलामी द्वारा 29.06.2006	26.06.2006	25.06.2007

2	श्री कमलेश छंगाणी पुत्र श्री मुखराज छंगाणी	64 सेक्टर 4, रामराज नगर	12.09.2008	10.12.2008	09.12.2009
3	श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री मुकेश सोनी व श्री मुकेश बाडमेरा पुत्र रव. श्री पुनमचन्द	62 खसरा न. 702, 703, 704 व 727 ग्राम चौखा पत्रकार कॉलोनी	06.11.2004	03.02.2005	02.02.2006

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रकरण राज्य सरकार को नहीं प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: विवेक विहार योजना के आवेदन-पत्र (बुकलेट) मुद्रण की दरों में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

विवेक विहार योजना में आवेदन पत्र बुकलेट मुद्रण हेतु पूर्व में खुली निविदा आमंत्रित कर दरे प्राप्त की गई थी जिसमें न्यूनतम दर $14.25 + 5\% \text{Vat} = \text{Rs } 14.96$ स्वीकृत की गई थी। इसमें बुकलेट में दो कवर पेज तथा 16 अन्य पेज तथा एक चालान कॉपी मुद्रण कर तैयार की जानी थी। तत्पश्चात् इस बुकलेट में आन्तरिक 3 पेज की बढ़ोतरी के कारण संवदेक द्वारा इन अतिरिक्त पृष्ठों की राशि की मांग की गई तदनुसार बढ़े हुए पृष्ठों का आंकलन कर संशोधित बुकलेट मुद्रण की दर $\text{Rs } 16 + 5\% \text{Vat} = \text{Rs } 16.80$ होती है। जिसकी स्वीकृति आयुक्त महोदया द्वारा प्रदान की गई इसका अनुमोदन कार्यकारी समिति में कराये जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: भदवासिया रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनने के कारण कियोस्क/दुकानों का स्थानान्तरित कर पुनर्वासित करने बाबत।

रेल्वे कांसिंग क. सी-7 (भदवासिया फाटक) पर आर.ओ.बी का कार्य प्रगति पर है। नेशनल हाइवे पर उक्त आर.ओ.बी की लम्बाई लगभग 300 मी होगी। नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा क्षेत्र के बेराजमार गरीब लोगों को रामा की प्याउ, क्षेत्र में कियोस्क आवंटित किये गये थे। वर्तमान में 31 कियोस्क स्थित हैं, जो कि प्रस्तावित आर.ओ.बी के कारण प्रभावित हो रहे हैं एवं इनका अधिग्रहण अति आवश्यक है। पाषर्द (वार्ड सं. 54) श्रीमती बेबी सामरिया द्वारा कियोस्क धारियों से सम्पर्क करने पर दुकानधारको (कियोस्क धारक) ने संलग्न सूची में उनके नाम के समक्ष अंकित स्थानों पर अपनी दुकानों के स्थानान्तरण के लिए सहमति मय विकल्प प्रस्तुत की है।

अतः कियोस्क धारियों को उनके द्वारा प्रस्तावित विकल्पानुसार, प्रस्तावित स्थानों पर, स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में पुनर्वासित किये जाने के संबंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावित नये स्थान पर उपलब्ध कियोस्क में पुनर्वासित किया जावे। यदि नये प्रस्तावित स्थान पर

वांछित संख्या में कियोस्क उपलब्ध नहीं है तो जिस स्थान पर कियोस्क उपलब्ध हो वहां पर स्थानान्तरित किये जाने के लिए विकल्प मांगे जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: भूखण्ड संख्या 175 विजयराजे नगर योजना के संबंध में।

श्री मनोज कुमार जैन द्वारा भूखण्ड श्रेणी "अ" 25 फीट गुणा 50 फीट आकार में आय वर्ग 6000/- रुपये से 12000/- रुपये में निर्धारित अमानत राशि 8000/- जमा करवाये थे। परन्तु आवेदक को भूखण्ड श्रेणी अ-1 167.22 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का आय वर्ग 8001/- से 12000/- में भूखण्ड संख्या 175 आकार 30 फीट गुणा 60 फीट का आवंटन हुआ जिसके लिए अमानत राशि रुपये 10000/- जमा करवानी होती है। श्री मनोज कुमार पत्रकार को पत्रकार श्रेणी से भूखण्ड संख्या 175 आकार 30 फीट गुणा 60 फीट का आवंटन हुआ। तत्कालीन जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक पत्रकार नहीं हैं व न ही सम्पादक के मूल हस्ताक्षर हैं। आवंटन-पत्र जारी नहीं हुआ और निरस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान पत्रावली के पैरा 25/एन की पालना में आवेदक को सूचना दी गयी जिसकी सुनवाई दिनांक 27 फरवरी, 2009 को रखी गई। आवेदक उपस्थित हुआ। प्रभारी अधिकारी आवंटन द्वारा आगामी 3 मार्च, 2009 को उपस्थित होने आदेश जिसके कम में आवेदक उपस्थित नहीं हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर राशि जप्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

प्रस्ताव संख्या 10 (1) :: श्रीराम अस्पताल से बनाड़ गांव तक सड़क चौड़ाईकरण के दौरान विद्युत पोल शिफ्ट किये जाने के संबंध में।

बैठक में निदेशक-अभियांत्रिक ने अवगत कराया कि जयपुर रोड पर श्रीराम अस्पताल से बनाड़ गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क चौड़ी कर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त सड़क के मध्य डिवाइडर पर पोल लगाकर सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता-विद्युत, प्राधिकरण द्वारा 172.00 लाख रुपये का तकमीना तैयार किया गया है। जो कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक-अभियांत्रिक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार उपरोक्त कार्य (सड़क के मध्य डिवाइडर पर पोल लगाकर लाइट लगाना, कनेक्शन आदि करने का कार्य) कराने का निर्णय लिया गया तथा 172.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 (2) :: एम.एल.ए.एल.ए.डी. के स्वीकृत कार्यों में से प्राधिकरण में पंजीकृत (बेरोजगार अभियन्ता) को कार्य आवंटित करने के संबंध में।

बैठक में निदेशक-अभियांत्रिक ने अवगत कराया कि चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के 14/45 के सामने स्थित पार्क में विकास कार्य एवं चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के 17/848 के सामने स्थित पार्क में विकास कार्य करवाने हेतु विधायक कोष से स्वीकृति प्राप्त है।

उक्त कार्य बेरोजगार अभियन्ता योजना के तहत करवाने हेतु मेसर्स सचिन पुरोहित, टेण्डेवाल बिल्डिंग, व्यापारियों का मोहल्ला, जोधपुर, मेसर्स संजय बीरा, प्लाट

11

दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को सायं 5.00 बजे श्रीमती आनन्दी, आयुक्त महोदया एवं अध्यक्ष महोदया, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

1. श्री के.सी. गोदानी, जोनल मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
2. श्री डॉ. बी.सी. बघाल, अति कलेक्टर-शहर, जोधपुर
3. श्री विजयलक्ष्मी कल्ला, सहायक आयुक्त पुलिस, जोधपुर
4. श्री पी.के. जैन, क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लिमिटेड, जोधपुर
5. श्री ओ.पी. बेरवा, प्रबन्धक (प्रशा.) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
6. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
7. श्री ए.पी. खत्री, निदेशक, अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री नन्दलाल शर्मा, निदेशक, विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त-पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री एन.के. बंसल, उपायुक्त-दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्रीमती अजरा, उपायुक्त-पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री रामलाल सिहाग, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री हरजी लाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर